न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
38 / 2024	05.11.2024	11.02.2025

1. तहसीलदार खण्डार(भूमिधारी) तहसील खण्डार जिला स0मा0।

——प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र मथुरालाल जाति महाजन निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार।
2. राधेश्याम पुत्र मथुरालाल जाति महाजन निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार।
3. जगदीश पुत्र मथुरालाल जाति महाजन निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री हरिलाल बैरवा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बहरावण्डा खुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 45 / 1, 45 / 3, 46, 47 / 2, 1082 / 2 कुल किता—5 कुल रकबा 4.16 बीघा है, अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ कार्य में लिया जा रहा है अर्थात कृषि भूमि पर कृषि कार्य न कर शर्त भंग की गई है एवं भूमि क्षेत्र को हानि पहुचाई गई है। इस कृत्य के लिए अप्रार्थीगणों को भूमि क्षेत्र से बेदखल करने व सिवायचक घोषित करने की आज्ञा पारित की जायें। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार मे पेश किया गया है। उक्त वर्णित भूमि को अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखली करने निवेदन किया गया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण की कब्जे एवं खातेदारी की बुजुर्गयान का आराजी खसरा नम्बर 45 / 1, 45 / 3, 46, 47 / 2, 1082 / 2 कुल किता—5 कुल रकबा 4.16 बीघा वाकें ग्राम बहरावण्डा खुर्द में स्थित है, परन्तु सिचांई व्यवस्था नहीं होने के कारण काश्त नहीं होती है। परिवार काफी बढ़ चुका है इसलिए हमने आपस में मौके पर बंटवारा सफेद इंगल से कर पत्थरगढ़ी करके बंटवारा कर लिया है। वारिसान बढ़ने से रिहाईसी हेतु अपना अपना आशियाना तैयार कर रहे थें। न्यायहित में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने खेत पर कुछ हिस्से पर कृषि सामान रखने पालतू जानवरों की सुरक्षा करने व चारा पानी रखने स्वयं के रिहायशी हेतु मकान निर्माण कर सकते है। मौके पर कोई किस्म परिवर्तन नहीं की जा रही है। कोई वाणिज्य कार्य हेतु कारखाना, उद्योग नहीं डाला जा रहा है। विपक्षीगण ने तो मात्र अपनी अराजीयात का मौके पर भाई बंटवारा सफेद ऐंगल डालकर पत्थरगढ़ी की है। जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का वादपत्र मय प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।
3. अप्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत जबाव पर तहसीलदार खण्डार से जबाव पर टिप्पणी चाही गई। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त टिप्पणी अनुसार उक्त विवादित भूमि अप्रार्थीगणों की शामलाती खातेदारी भूमि है। खातेदारों द्वारा अपनी आराजीयात का मौके पर सफेद एंगल डालकर भाई बंटवारा किया है। खातेदारान उक्त आराजीयात को गैर कृषि उपयोग में नहीं लाने चाहते है। उक्त भूमि वर्तमान मे मौके पर पड़त है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

4. वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 43/1, 45/3, 46, 47/2, 1082/2 वांके ग्राम बहरावण्डा खुर्द पर बिना तहसीलदार खण्डार की अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं करेगें एवं अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विवादित आराजी मे अप्रार्थी संख्या 1 मदनलाल के हिस्से की भूमि को स्वयं को विक्रय किया जाने बताते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को रिकोर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है।

5. वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि अप्रार्थीगण ने मौके पर मात्र भाई बंटवारा किया है। किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक/औधोगिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगणों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी जोत के कुछ हिस्से पर भूमि सुधार से सम्बन्धित निर्माण कार्य करने का अधिकार है, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है कि बिना तहसीलदार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खरीद लिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें। प्रार्थी तहसीलदार ने दौराने बहस अपनी रिपोर्ट के तथ्यों का दोहरान किया और बताया कि खातेदारो द्वारा मौके पर सफेद एंगल डालकर भाई बंटवारा किया है। भूमि वर्तमान में पड़त है। भूमि पर वर्तमान में निर्माण नहीं है। तहसीलदार द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं बताई गई।

6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है एवं बहस उभयपक्ष मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगणो को बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया गया। अप्रार्थीगणों के जवाब व जवाब पर तहसीलदार से अग्रेषित टिप्पणी से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का मौके पर सफेद एंगल डालकर भाई बंटवारा किया हुआ है। वर्तमान में भूमि पड़त है एंव अन्य निर्माण नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विवादित आराजी मे अप्रार्थी संख्या 1 मदनलाल के हिस्से की भूमि को क्रय कर लिया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है कि बिना तहसीलदार की अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बहरावण्डा खुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 45/1, 45/3, 46, 47/2, 1082/2 कुल किता–5 कुल रकबा 4.16 बीघा के उपयोग पर निगरानी रखें एवं यदि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग/निर्माण कार्य किया जाता है तो अप्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)